

“सरल-2016”

प्रत्येक योजना के लिए इसी सरल आवेदन पत्र का प्रयोग करें

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना (योजना का नाम जिसमें आवेदन किया जा रही है)

हिताधिकारी की
पासपोर्ट साईज
की फोटो लगाएं

1. हिताधिकारी का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. जन्मतिथि व आयु (दिन/माह/वर्ष).....आयु वर्षों में.....
4. पता (i) मकान संख्या(ii) मोहल्ला/गाँव.....
(iii) ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र/वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र).....
(iv) ब्लॉक/शहर (v) जिला
5. हिताधिकारी द्वारा किया जाने वाला कार्य (बेलदार, मिस्त्री, बिजली के कार्य, नल का कार्य आदि)
6. हिताधिकारी से सम्बन्धित अन्य जानकारी—
 - 6.1. जनआधार कार्ड/नामांकन संख्या
 - 6.2. आधार कार्ड संख्या
 - 6.3. मोबाईल नम्बर
 - 6.4. हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि
 - 6.5. अंतिम बार अंशदान जमा करने की तिथि
 - 6.6. पंजीयन अधिकारी का पदनाम व स्थान.....
(श्रम विभाग/बीडीओ/सानिवि, पीएचईडी, अथवा जल संसाधन विभाग का एईएन आदि)
 - 6.7. हिताधिकारी के बैंक खाते का विवरण—
 - (i) बैंक का नाम
 - (ii) बैंक की शाखा का नाम
 - (iii) खाता संख्या
 - (iv) बैंक का आईएफएससी कोड(यदि हिताधिकारी के नामित द्वारा आवेदन किया जा रहा है तो नामित का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड/नामांकन तथा बैंक खाता विवरण अंकित करें)
7. यदि पति-पत्नी दोनों हिताधिकारी है, तो पत्नि/पति के सम्बन्ध में जानकारी—
 - 7.1 हिताधिकारी (पत्नि/पति) का नाम.....
 - 7.2 पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि

आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि

हिताधिकारी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास हेतु हिताधिकारी की घोषणा

मैं.....(हिताधिकारी का नाम)
 पुत्र/पुत्री/पत्नि.....(पिता/पति का नाम)
 घोषणा करता हूँ कि.....(छात्र/छात्रा का नाम)
 जिसकी फोटो साथ में लगाई है, मेरा पुत्र/पुत्री/पत्नि है। उसने शैक्षणिक वर्षमें
 कक्षा.....की परीक्षा स्कूल/कॉलेज.....(शिक्षण संस्था का नाम व
 पता).....से श्रेणी / ग्रेड.....में उत्तीर्ण की है। (अंक तालिका की प्रति
 संलग्न करें) वह वर्तमान मेंशिक्षण संस्थान में कक्षा..... में पढ़ रहा है/नहीं पढ़
 रहा है। (यदि 12 वीं कक्षा या पाठ्यक्रम की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे प्रवेश नहीं लिया हो ता स्पष्ट अंकित
 करें)

छात्र/छात्रा की
 पासपोर्ट साईज
 की फोटो लगाएं

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दिया गया समस्त विवरण सत्य है तथा मैंने कोई तथ्य नहीं
 छुपाया है। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण असत्य या मिथ्या पाया जाता है, तो मैं योजना में प्राप्त होने वाली राशि
 लौटाने के लिए बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर हिताधिकारी

शैक्षणिक संस्था के प्रमुख का प्रमाण पत्र

(उस संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाये जहाँ छात्र/छात्रा पढ़ रहा हो या अन्तिम बार अध्ययनरत रहा हो)

प्रमाणित किया जाता है कि(छात्र/छात्रा का नाम)
 पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(पिता/पति का नाम) इस शैक्षणिक संस्था
 में कक्षा/पाठ्यक्रम.....के.....वर्ष में नियमित रूप से अध्ययनरत है। उसने उक्त
 कक्षा/पाठ्यक्रम इस संस्था से शैक्षणिक सत्र.....में उत्तीर्ण की है (जो लागू नहीं है उसे काट दे)। यह
 संस्था.....विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्ध है तथा केन्द्र/राज्य
 सरकार.....(मान्यता का उल्लेख करें) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

शैक्षणिक संस्थान का पता—

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम (संस्था की मुहर सहित)

घोषणा-पत्र (अ)
(नियोजक/सम्पत्ति मालिक द्वारा)

1. मैं (नाम)पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....
उम्रवर्ष, निवासी..... ग्राम
पंचायत/वार्ड/पंचायत समिति/नगर पालिका) जिलाका रहने वाला हूँ। मेरे आधार
नम्बर/भामाशाह नम्बर.....एवं मोबाईल नम्बर.....है।
2. यह कि, मुझ घोषणाकर्ता ने वार्ड नम्बरग्राम.....,ग्राम पंचायत.....
पंचायत समिति/नगर पालिका वार्ड नं.....तहसीलजिलामें स्वयं के
मकान/अन्य निर्माण कार्य करवाया है। घोषणाकर्ता के पास उक्त सम्पत्ति का मालिकाना हक है।
3. मेरे द्वारा स्थानीय प्रशासन (पंचायत/शहरी निकाय) से अनुमति लिए जाने के उपरान्त उक्त
निर्माण करवाया गया है। मेरे द्वारा कुलवर्ग फुट निर्माण कार्य दिनांकसे
दिनांकके मध्य कराया गया जिसके निर्माण/नवीनीकरण में कुल अनुमानित
रुपयेकी लागत आई है। इस पर मेरे द्वारा निर्माण सेस का भुगतान किया गया/देय नहीं
है।
4. यह कि मुझ घोषणाकर्ता के मकान पर श्री/श्रीमतीपत्नी/पुत्र.....
निवासी.....ने दिनांकसे दिनांक.....तक
कुल.....दिन बेलदार/मिस्त्री/.....का कार्य किया है।
5. यह है कि उपरोक्त श्रमिक को बेलदारी/मिस्त्री का कार्य मेरे अधीन करने पर रुपये.....
प्रतिदिन के हिसाब से कार्य किया है एवं उक्त श्रमिक का मेरे द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया
है। वर्तमान में उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।
6. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है।
प्रमाण-पत्र का विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये
जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 420 एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मेरे
विरुद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ एवं कथित प्रमाण-पत्र
के आधार पर प्रमाणित किये गए श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक
से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

हस्ताक्षर.....
(नियोजक/सम्पत्ति मालिक)

अंगूठे का निशान
(नियोजक/सम्पत्ति मालिक)

दिनांक.....

स्थान.....